The Following observation are found in the proposal No. FP/RJ/MIN/149012 Dated 22.02.2022 and compliance which need to be replied and / or rectified by the user agency:-

S.No.	Observations	Compliance
1	प्रस्ताव में पार्ट-1 में पैरा-1 में वन्यजीव स्वीकृति की जानकारी में प्रस्ताव वन्यजीव अभ्यारण्य/नेशनल पार्क/ ESZ में नही होना अवगत कराया गया था, परन्तु उप वन संरक्षक की Site Inspection Report एवं Recommendation में 15.30 है0 वन क्षेत्र बंध बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग होना अवगत कराया गया है। ESZ वन क्षेत्र में खनन गतिविधियां संभव नही है। अतः इस क्षेत्र को कम कर प्रस्ताव संशोधित किया जाना अपेक्षित है, इस बावत् मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी भी ली जानी उचित रहेगी।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक व उपवन संरक्षक वन्यजीव भरतपुर से अपेक्षित है।
2	उप वन संरक्षक द्वारा पेड़ो की गणना 12023 पोधों की दी गई है, इनमें से कितने पेड़ो को काटा जाना है तथा कितने पेड़ो को Retain किया जाना है, की अलग-अलग सूची दी जानी अपेक्षित है, दस्तावेज पर उपवन संरक्षक की सील एवं हस्ताक्षर नहीं है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।
3	248.5515 है0 NFL के विरूद्ध उप वन संरक्षक द्वारा KML 646.46 है0 कर दी गई है, इसमें से 248.5515 है0 की KML दी जानी है।	उक्त बिन्दु की पालना में KML अपलोड कर दी गई है।
4.	CA NFL की KML अस्पष्ट है।	उक्त बिन्दु की पालना में KML अपलोड कर दी गई है।
5	उपवन संरक्षक द्वारा CA Scheme 13 (iv) में NA लिखा है, जो गलत है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।
6.	NFL नोटिफिकेशन को जो दस्तावेज अपलोड किया गया है, उस पर सील व हस्ताक्षर नहीं है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
रूपवास जिला-भरतपुर

7.	NFL भूमि की Google Image देखें जाने पर स्पष्ट होता है कि उस पर 1000 पौधे प्रति हैक्टर लगाया जाना उचित नहीं है। अतः NFL रोपित किये जा सकने वाले संभावित पोधों के उपरांत बचने वाले पौधे DFL क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु का जवाब कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।
8	नोटिफिकेशन के नाम से अपलोड किया गया दस्तावेज नहीं खुल रहा है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।
9.	बंध बारैठा अभ्यारण्य के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न। अपलोड नहीं है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।
10	Safty Zone की गणना नही दी गई है।	उक्त बिन्दु का जबाव कार्यालय उपवन संरक्षक भरतपुर से अपेक्षित है।

प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र ब्लॉक ए व बी में पॉच खनन पट्टे आंशिक/पूर्णतया आते है।

नोटः- प्रस्तावित वन अनारक्षण क्षेत्र में एक खनन पट्टा संख्या 124/1990 का क्षेत्र लगभग 35.00 हैक्टेयर प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त खनन पट्टा निदेशालय के आदेश दिनांक 04.11.2004 से अस्वीकृत किया गया। खनन पट्टाधारी मैसर्स पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 8028/2004 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2005 से Status Quo Maintain के आदेश पारित किये हुये है।

08/3/2022

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास, जिला भरतपुर

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
रूपवास जिला-भरतपुर